

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 3517
उत्तर देने की तारीख : 17.12.2024

राष्ट्रीय न्यास द्वारा निःशक्तता संबंधी आँकड़े और पहले

3517. श्री कार्ती पी. चिदम्बरमः

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) 2011 की जनगणना द्वारा कितने निःशक्तजनों की पहचान की गई है;
- (ख) राज्यवार कितने लोगों को निःशक्तता प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं;
- (ग) राज्यवार कितने लोगों को यूडीआईडी (विशिष्ट निःशक्तता पहचान-पत्र) कार्ड जारी किए गए हैं;
- (घ) राष्ट्रीय न्यास द्वारा वर्ष 2000 से अब तक कितने संरक्षक प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं; और
- (ङ) क्या राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राष्ट्रीय न्यास के कार्यालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री बी.एल. वर्मा)

(क): वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, 2.68 करोड़ व्यक्तियों की पहचान दिव्यांगजन के रूप में की गई है।

(ख) से (ग) : आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 57 के अनुसार, दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए जिम्मेदार प्राधिकरण राज्य सरकार है। 2017 में यूडीआईडी परियोजना शुरू होने से पहले, सभी राज्य मैन्युअल रूप से दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी कर रहे थे। मैन्युअल दिव्यांगता प्रमाणपत्रों का राज्य-वार डेटा केंद्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है। 12.12.2024 को उपलब्ध जानकारी के अनुसार, जारी किए गए विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी) कार्डों का राज्य-वार विवरण इस प्रकार है:

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | जारी किए गए कुल कार्ड |
|---------|-----------------------------|-----------------------|
| 1. | अंडमान व निकोबार द्वीप समूह | 6287 |
| 2. | आंध्र प्रदेश | 964836 |
| 3. | अरुणाचल प्रदेश | 4010 |
| 4. | অসম | 217324 |
| 5. | बिहार | 559913 |
| 6. | चंडीगढ़ | 11166 |
| 7. | छत्तीसगढ़ | 256512 |
| 8. | दिल्ली | 82175 |

| | | |
|-----|-----------------------------------|-------------|
| 9. | गोवा | 11082 |
| 10. | गुजरात | 435458 |
| 11. | हरियाणा | 201697 |
| 12. | हिमाचल प्रदेश | 99642 |
| 13. | जम्मू और कश्मीर | 205029 |
| 14. | झारखंड | 190159 |
| 15. | कर्नाटक | 828714 |
| 16. | केरल | 361447 |
| 17. | लद्दाख | 3781 |
| 18. | लक्षद्वीप | 1056 |
| 19. | मध्य प्रदेश | 902587 |
| 20. | महाराष्ट्र | 1186285 |
| 21. | मणिपुर | 13691 |
| 22. | मेघालय | 32245 |
| 23. | मिजोरम | 6240 |
| 24. | नागालैंड | 3139 |
| 25. | ओडिशा | 752497 |
| 26. | पुडुचेरी | 21970 |
| 27. | पंजाब | 358096 |
| 28. | राजस्थान | 555480 |
| 29. | सिक्किम | 5184 |
| 30. | तमिलनाडु | 855514 |
| 31. | तेलंगाना | 775294 |
| 32. | दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव | 4044 |
| 33. | त्रिपुरा | 38012 |
| 34. | उत्तर प्रदेश | 1425217 |
| 35. | उत्तराखण्ड | 96559 |
| 36. | पश्चिम बंगाल | 60162 |
| | कुल | 1,15,32,504 |

(घ): उपलब्ध सूचना के अनुसार, राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 की धारा 13(2) के तहत गठित स्थानीय स्तर की समितियों, जिसके अध्यक्ष जिला कलेक्टर हैं, द्वारा 72,159 कानूनी संरक्षकता प्रमाण पत्र (12 दिसंबर, 2024 तक) जारी किए गए हैं।

(ङ): विभाग में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।